संख्या-31/2020/ 665 /71-2-2020-24/2018

प्रेषक,

डा0 रजनीश दुबे,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 23 मार्च, 2020

विषयः- वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान संख्या-31 के अंतर्गत राजस्व लेखा पक्ष में असाध्य रोग के निःशुल्क उपचार हेतु पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि स्वीकृत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-एमई/बजट/2019-20/818, दिनांक 13-3-2020 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2109-20 में अनुदान संख्या-31 के अंतर्गत राजस्व पक्ष में लेखाशीर्षक-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-05-चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-03-शिक्षा-0309-संजय गॉधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ-31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन) मद में रू0 1700.00 लाख की हो रही संभावित बचत की धनराशि को पुनर्विनियोग के माध्यम से निम्नलिखित चिकित्सा विश्वविद्यालय/संस्थान/मेडिकल कालेजों को, संलग्न प्रपत्र बी0एम0-9 में उल्लिखित मानक मद ''20-सहायता अनुदान-सामान्य(गैर वेतन)'' में रू0 1700.00 लाख (रूपया सत्रह करोड करोड मात्र) संक्रमित कर, संक्रमित धनराशि की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुए धनराशि को व्यय किये जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः-

क्र0	संस्थान/विश्वविद्यालय/मेडिकल कालेज का नाम	धनराशि (लाख में)
1	किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ	1000.00
2	डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ।	200.00
3	हृदय रोग संस्थान, कानपुर।	450.00
4	मेडिकल कालेज, कानपुर।	25.00
5	राजकीय मेडिकल कालेज, मेरठ।	25.00
	योग-	1700.00

2- स्वीकृत की गयी धनराशि को किसी बैंक/पोस्ट आफिस अथवा पी0एल0ए0 में नहीं रखा जायेगा। स्वीकृत धनराशि का व्यय असाध्य रोगों के निःशुल्क इलाज हेतु सामान्य (गैर वेतन) मद में ही किया जायेगा तथा धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन अनियमितता होगी।

3- स्वीकृत धनराशि का उपभोग समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करते हुए नियमानुसार सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त कर किया जायेगा तथा धनराशि का उपयोग असाध्य रोग विनियमावली के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार किया जायेगा।

4- उक्त स्वीकृत धनराशि को कोषागार से चिकित्सा विश्वविद्यालय/संस्थान/मेडिकल कालेज के संबंधित वित्त अधिकारी/वित्त नियंत्रक द्वारा आहरित किया जायेगा एवं बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

5- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 22-3-2019 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा उपभोग प्रमाण पत्र शासन/महालेखाकार को यथासमय उपलब्ध कराया जायेगा।

6- जिस मद से पुनर्विनियोग किया गया है उस मद में अतिरिक्त धनराशि की मॉग इस वित्तीय वर्ष में पुनः नहीं की जायेगी तथा जिस मद में धनराशि संक्रमित की जा रही है, उसका उपयोग इसी मद में इसी वित्तीय वर्ष में सुनिश्चित किया जायेगा।

7- बचत की धनराशि की उपलब्धता का पूर्ण दायित्व महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 तथा चिकित्सा विश्वविद्यालय/संस्थान/मेडिकल कालेज के कुलसचिव/निदेशक/प्रधानाचार्य/वित्त अधिकारी का होगा।

8- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के अनुदान संख्या-31 के अंतर्गत राजस्व पक्ष में लेखाशीर्षक-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-05-चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-03-शिक्षा-0309-संजय गॉधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ-31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन) मद में रू0 1700.00 लाख के अंतर्गत होने वाली बचतों से पुनर्विनियोग करते हुए लेखा शीर्ष "2210-05-105-03-0368-असाध्य रोगों के इलाज हेतु नि:शुल्क चिकित्सा सुविधा-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)" के नामे डाला जायेगा।

9- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-3/228 /दस-2020, दिनांक 19 मार्च, 2020 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(डा0 रजनीश दुबे)
प्रमुख सचिव।

संख्या-31/2020 /665 /71-2-20-तद्दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2) प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3) कुलसचिव/वित्त अधिकारी, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ।
4) निदेशक/वित्त अधिकारी, डा0 रा0म0लो0आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ।
5) निदेशक/वित्त अधिकारी, हृदय रोग संस्थान, कानपुर।
6) प्रधानाचार्य/वित्त अधिकारी, मेडिकल कालेज, कानपुर/मेरठ।
7) संबंधित कोषाधिकारी, लखनऊ/कानपुर/मेरठ।
8) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
9) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कुलदीप कुमार रस्तोगी)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in